श्रीमती आशा रानी अग्रवाल पत्नी स्व0श्री गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी जी–9 कलेक्शन हनुमान चौक सतना तहसील रघु0नगर जिला सतना (म0प्र0)------------------------------------------**निगराकार**

**बनाम**

1– विश्वनाथ अग्रवाल तनय स्व0रामकिशोर अग्रवाल निवासी हनुमान चौक सतना तहसील रघु0नगर जिला सतना (म0प्र0)

2– म0प्र0शासन-----------------------------**गैर निगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0सं0–1959 विरूद्ध नजूल तहसीलदार नजूल जांच जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्र0क0–1अ12/10–11 आदेश दिनांक 28.01.11

**मान्यवर,**

**निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–**

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

गैर निगराकार कमांक–1 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर मौजा सतना स्थित नजूल शीट कमांक–47डी, भूखण्ड कमांक–260/1 रकवा 1243वर्गफिट के सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे पंजीबद्ध किया जाकर सीमांकन कार्यवाही की गयी।

उक्त भूखण्ड स्थित भवन का रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 04.07.1967 को निगराकार के पति व गैर निगराकार कमांक–1 व उनके भाई रामेश्वर प्रसाद तथा हरिशंकर के बीच किया गया, जिसमे उक्त भूखण्ड का आधा भाग निगराकार के पति को प्राप्त

श्रीमती आशारानी / विश्वनाथ अग्रवाल
R. 3860-J/12-सतना

13.5.15 आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभावक श्री अनरेश कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक एवं उनके अभिभावक को समय-समय पर तीन बार आवाज लगाई। आवेदक एवं उनके अभिभावक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण रिकॉर्ड रूम दाखिल हो।

सदस्य

अ.कु. 13.5